



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण 1941 (श0)
(सं0 पटना 1330) पटना, वृहस्पतिवार, 12 दिसम्बर 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

12 दिसम्बर 2019

सं० एल०जी०-01-15/2019-8865/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10 दिसम्बर 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 20, 2019]

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2019

प्रस्तावना :—बिहार वित्त अधिनियम, भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, (बिहार अधिनियम 16/1993) बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, [जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम 12/2017) की धारा 173 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व थे।], बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) [जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 4/2018) की धारा 23 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व था] और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956), के कार्यवाहियों से उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु अधिनियम।

भारत-गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य-कर आयुक्त राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु राज्य सरकार, इस प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उक्त तीन माह की अवधि को, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक परन्तु तीन माह से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।

अध्याय I

प्रारम्भिक।

2. परिभाषाएं— इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2019;

(ख) “स्वीकृत कर” से अभिप्रेत है विधि के अधीन पक्षकार द्वारा दाखिल विवरणी में स्वीकार की गई देय कर की राशि;

(ग) “अपील” से अभिप्रेत है विधि के अधीन बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 9 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त और क्षेत्रीय अधिकारिता वाले राज्य-कर अपर आयुक्त (अपील) अथवा राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित अपील;

(घ) **विवादित बकाया कर, शास्ति या ब्याज या फाईन से अभिप्रेत है, —**

(i) प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा कर निर्धारण या पुनर्करनिर्धारण के उपरांत भुगतेय कर, चाहे जिस नाम से जाना जाए, या

(ii) प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवरणी दाखिल करने में हुए व्यतिक्रम के लिए निर्धारिती पर आरोपित शास्ति, या

(iii) अधिनियम के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतेय ब्याज, —

(क) जो कर निर्धारण या पुनर्करनिर्धारण से पूर्व कर के विलंब भुगतान या भुगतान नहीं करने के कारण निर्धारित; या

(ख) जो कर निर्धारण या पुनर्करनिर्धारण के पश्चात् कर का भुगतान नहीं करने या कर का कम भुगतान के लिए अवधारित, यथा स्थिति, विवाद में हो।

(ङ) “निर्धारित कर” से अभिप्रेत है विधि के अधीन कर-निर्धारण अथवा पुनर्करनिर्धारण आदेश के अधीन चुकाया जाने वाला विनिश्चित कर;

(च) “विवाद” से अभिप्रेत है विधि के अधीन जून, 2017 के 30वें दिन या उससे पहले समाप्त होने वाली किसी भी अवधि के संबंध में 31 दिसम्बर, 2019 को लंबित मामले जिसके लिए—

(i) विधि के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर, सूद, फाईन अथवा शास्ति अधिरोपित किया गया है; या

(ii) कर निर्धारण आदेश, पुनर्करनिर्धारण आदेश, संवीक्षा आदेश या कोई अन्य आदेश पारित किया गया है; या

- (iii) अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, रेफरेंस, रिट पिटीशन अथवा विशेष इजाजत से याचिका दाखिल की गई हो; या
- (iv) पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन कार्यवाही प्रारंभ की गई हो; या
- (v) कर, ब्याज, फाईन या शास्ति के भुगतान के लिए आवेदक को नोटिस या आदेश निर्गत किया गया हो; या
- (vi) विधि के अधीन किसी भी कार्यवाही में कर, ब्याज, फाईन या शास्ति के भुगतान करने का नोटिस जारी किया गया है; या
- (vii) विधि के अधीन अथवा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ किये गये अथवा के समक्ष लम्बित कर, सूद, फाईन अथवा शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही शुरू की गई है;
- (छ) “विवादित राशि”, किसी विवाद के संबंध में, से अभिप्रेत है कोई कर, सूद, फाईन अथवा शास्ति की राशि जो पक्षकार के पास भुगतान के लिए बकाया है;
- (ज) “प्रपत्र” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न प्रपत्र;
- (झ) “विधि” से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम, भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, (बिहार अधिनियम 16/1993) बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, [जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम 12/2017) की धारा 173 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व थे।], बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) [जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 4/2018) की धारा 23 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व था] और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956)
- (ञ) “पक्षकार” से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो विधि के अधीन विवाद का एक पक्षकार हो और इस अधिनियम के अधीन किसी विवाद के समाधान हेतु आवेदन दाखिल करता हो;
- (ट) “विहित” से अभिप्रेत जो इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में विहित है;
- (ठ) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ “विहित प्राधिकारी” से अभिप्रेत है वैसे पदाधिकारी जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 में वर्णित हैं;
- (ड) “पुनरीक्षण” से अभिप्रेत है विधि के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन, जो न्यायाधिकरण अथवा बिहार वित्त अधिनियम, 1981 भाग I की धारा 9 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त वाणिज्य-कर आयुक्त के समक्ष लम्बित हो;
- (ढ) किसी विवाद के संदर्भ में “समाधानित” से अभिप्रेत है ऐसे विवाद से संबंधित कार्यवाही का निपटारा और समापन;
- (ण) “समाधान-राशि” से अभिप्रेत है वह राशि जिसका भुगतान करने पर विवाद का समाधान हो जायेगा;
- (त) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ “वैधानिक घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र” से अभिप्रेत है वैसे घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र जिसका उल्लेख केन्द्रीय बिक्री-कर (रजिस्ट्रेशन एवं सकलावर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12 में है;
- (थ) “न्यायाधिकरण” से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग I की धारा 8 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9 के अधीन गठित न्यायाधिकरण;
- (द) “विवरणीत आवर्त” से अभिप्रेत है विधि के अधीन पक्षकार द्वारा विवरणी में अभिलिखित किया गया सकल आवर्त;
- (ध) शब्दों या अभिव्यक्तियों जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो विधि के अधीन क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

अध्याय II**विवाद का समाधान**

3. समाधान-राशि।- (1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन विधि के तहत लंबित विवाद का समाधान पक्षकार के द्वारा इस निमित्त दिए गए आवेदन पर नीचे संलग्न तालिका के कॉलम-3 में विनिर्दिष्ट समाधान राशि के भुगतान पर किया जा सकेगा।

तालिका

क्रम सं०	विवाद की प्रकृति	समाधान राशि
1	2	3
1.	वैधानिक घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र के आभाव या अप्रस्तुतीकरण के कारण सृजित बकाया कर	आवेदन करने की तारीख तक आवेदक के पास उपलब्ध वैधानिक प्रपत्रों में सन्निहित कर राशि के समायोजन के पश्चात् विवाद के बकाया राशि की शेष राशि का 100% या ऐसी बकाया राशि के मद में पूर्व से भुगतान की गई राशि, जो भी अधिक हो;
2.	बकाया कर	विवाद में बकाया कर राशि का 35% या ऐसी बकाया राशि के मद में पूर्व से भुगतान की गई राशि, जो भी अधिक हो;
3.	विधि के अधीन किसी आदेश के माध्यम से अधिरोपित शास्ति या ब्याज या फाईन से उत्पन्न विवाद	विवादित शास्ति या ब्याज या फाईन, यथास्थिति, की राशि का 10% या ऐसे बकाया राशि के मद में पूर्व से भुगतान की गई राशि, जो भी अधिक हो;

स्पष्टीकरण I- समाधान-राशि में स्वीकृत कर बकाया के विरुद्ध भुगतान की गई कोई राशि शामिल नहीं होगी एवं पक्षकार स्वीकृत कर की संपूर्ण राशि जमा करेगा।

स्पष्टीकरण II- जहाँ विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व, विवादित राशि के मद में समाधान राशि के समतुल्य या अधिक राशि का भुगतान पहले ही कर दिया हो, तो उक्त राशि समाधान-राशि का भुगतान मानी जायेगी किन्तु समाधान-राशि से अधिक जमा राशि वापस नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण III- जहाँ विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने यदि इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व, विवाद के संदर्भ में किसी राशि को जमा कर दिया हो तो उक्त राशि को समाधान-राशि का भुगतान समझा जाएगा एवं पक्षकार को केवल अंतर-राशि का भुगतान करना होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे विवाद का समाधान हो चुका माना जायेगा, जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि, विनिर्दिष्ट रीति से एवं समय के भीतर सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई है, और उसे किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जारी नहीं रखा जाएगा।

(3) निम्नलिखित मामलों में अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत विवाद समाधान आदेश पारित होने पर-

- (i) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आदेश, अथवा
- (ii) रेफेरेन्स, अथवा
- (iii) रिट पिटीशन, अथवा
- (iv) विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पिटीशन)

ऐसा माना जायेगा कि उक्त पुनरीक्षण, रेफेरेन्स, रिट पिटीशन अथवा विशेष अनुमति याचिका पूर्वोक्त समाधान के तहत निष्पादित कर दी गई है।

अध्याय III**विवाद के समाधान का तरीका**

4. समाधान के लिए आवेदन।- विवाद के समाधान के लिए इच्छुक कोई पक्षकार अपना आवेदन विहित पदाधिकारी के समक्ष ऐसे प्रपत्र एवं रीति और समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

5. आवेदन का निष्पादन।- (1) धारा 4 एवं तदैव बनी नियमावली में वर्णित अवधि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप जबतक आवेदन नहीं होगा तब तक किसी आवेदन पर विहित प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा:

(2) धारा 4 के अन्तर्गत समर्पित आवेदन के संबंध में ऐसी रीति और समय सीमा के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

6. नियमों को बनाने की शक्ति।-

- (1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के उपबंधों के सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, ऐसे सभी या किसी मामले के लिए नियम बना सकेगी जिन्हें विहित करने की अपेक्षा इस अधिनियम द्वारा की गयी है या जिनकी बावत नियम प्रावधान किये जाते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

12 दिसम्बर 2019

सं० एल०जी०-01-15/2019-8866/लेज-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2019 को अनुमत बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 20, 2019]

THE BIHAR SETTLEMENT OF TAXATION DISPUTES ACT, 2019
AN
ACT

Preamble :- *To provide for settlement of disputes arising from proceedings under Part I of the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as it stood before its repeal by section 94 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)], the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Bihar Tax on Entry of goods into Local Areas for Consumption, use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act No 16 of 1993), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Bihar Tax on Advertisement Act, 2007, [as they stood before their repeal by section 173 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act No. 12 of 2017)], the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948) [as it stood before its repeal by section 23 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Act 4 of 2018)] and the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956),*

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent, commencement and eligibility criteria- (1) This Act may be called the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2019.

- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Commissioner of State Tax, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that the State Government may, by a notification published in the official Gazette in this behalf, extend the said period of three months by such further period, not exceeding three months, as may be specified in the said notification.

CHAPTER I

Preliminary

2. Definitions –*In this Act, unless otherwise required in the context –*

- (a) “**Act**” means the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2019;
- (b) “**admitted tax**” means the amount of tax admitted as being payable in the returns filed by the party under the law;
- (c) “**appeal**” means an appeal under the law pending before the Additional Commissioner of State Tax (Appeals) or the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) appointed and having territorial jurisdiction under section 9 of the Bihar Finance Act, 1981, Part I or section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;
- (d) “**arrear tax, penalty or interest, or fine in dispute**” means,-
 - (i) tax, by whatever name called, payable by an assessee upon assessment or re-assessment under the relevant Act, or,
 - (ii) penalty imposed upon an assessee for default in furnishing return in accordance with the provisions of the relevant Act, or,
 - (iii) Interest payable by an assessee under Act,-
 - (A) as determined for delayed payment or non-payment of tax before assessment or re-assessment; or
 - (B) as accrued in respect of non-payment of tax or, as the case may be, short payment of tax after assessment or re-assessment which is in dispute.
- (e) “**assessed tax**” means tax determined as being payable under an order of assessment or reassessment under the law;
- (f) “**dispute**” means case pending on the 31st day of December, 2019 in respect of any period ending on or before 30th day of June, 2017 under the Law for which-
 - (i) a levy of tax, interest, fine or penalty by an authority appointed or prescribed or authorized under the law or,
 - (ii) an assessment, re-assessment, scrutiny or any other order has been made; or
 - (iii) an appeal, revision, miscellaneous revision, review, reference, Writ Petition or Special Leave Petition has been filed; or
 - (iv) a revision or review proceeding has been initiated; or
 - (v) a notice or order has been issued intimating the applicant for payment of tax, interest, fine or penalty; or
 - (vi) a notice has been issued in any proceeding under the Law requiring payment of any tax, interest, fine or penalty; or

- (vii) a proceeding for recovery of tax, interest, fine or penalty, initiated by or pending before any authority appointed or prescribed or authorised under the law or the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914;
- (g) "**disputed amount**", in relation to a dispute, means any tax, interest, fine or penalty which is due to be paid by the party;
- (h) "**form**" means a form appended to this Act ;
- (i) "**law**" means Part I of the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as it stood before its repeal by section 94 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)], the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Bihar Tax on Entry of goods into Local Areas for Consumption, use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act No16 of 1993), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Bihar Tax on Advertisement Act, 2007, [as they stood before their repeal by section 173 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act No. 12 of 2017)], the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948) [as it stood before its repeal by section 23 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Act 4 of 2018)] and the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956),
- (j) "**party**" means any person who is a party to a dispute under the Law and who files an application under this Act for settlement of any dispute;
- (k) "**prescribed**" means as prescribed in the Rules made under this Act;
- (l) "**prescribed authority**", for the purposes of this Act, means authorities referred to section 10 of Bihar Value added Tax Act 2005.
- (m) "**revision**" means a petition for revision under the law pending before the the Commissioner of Commercial Taxes appointed under section 9 of Part I of the Bihar Finance Act, 1981 or section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or the Tribunal under the Act ;
- (n) "**settled**", in relation to a dispute, means disposal and conclusion of the proceeding in relation to such dispute;
- (o) "**settlement amount**" means the amount upon payment of which the dispute shall be settled;
- (p) "**statutory certificates/declarations**" for the purpose of the Act means declarations and certificates mentioned under Rule 12 of the central sales Tax (Registration & Turnover Rules) 1957
- (q) "**Tribunal**" means the Commercial Taxes Tribunal constituted under section 8 of Part I of the Bihar Finance Act, 1981 or section 9 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005
- (r) "**turnover returned**" means the gross turnover recorded in the returns filed by the party under the law;

- (s) words or expressions not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them under the law.

CHAPTER II

Settlement of Disputes

3. Settlement amount .- (1) Subject to other provisions of this Act, a dispute pending under the law may, on an application being made in this behalf by a party, be settled upon payment of the settlement amount as specified in column 3 of the Table appended hereinbelow:

Table

Sl.No.	Dispute relating to	Settlement amount
1	2	3
1.	Arrear of tax for non furnishing/non-production of statutory Certificates/Declarations	100% of remaining balance amount of the arrear of tax in dispute, as reduced by the amount of tax involved in the value of Certificates/Declarations in the possession of the applicant till the date of application, or the amount already paid towards such arrear, whichever is higher;
2.	Other Arrear of tax	35% of the arrear of tax in dispute or the amount already paid towards such arrear, whichever is higher;
3.	For dispute arising out of an order levying penalty, fine or interest under the law	10% of disputed amount of penalty or interest or the fine, as the case may be, or the amount already paid towards such arrear, whichever is higher;

Explanation I. - Settlement amount shall not include any payment towards any arrear of admitted tax and the party shall deposit the total amount of admitted tax.

Explanation II. - Where a party desirous of settling a dispute, has already deposited any amount in respect of the dispute which is equal to or more than the settlement amount, before the commencement of this Act, the said amount would be considered as payment of settlement amount and the amount deposited in excess of the settlement amount will not be refunded.

Explanation III. - Where a party desirous of settling a dispute, has deposited any amount in respect of the dispute before the commencement of this Act, the said amount would be considered as payment of settlement amount and the party will have to pay the difference amount only.

- (2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force but subject to the other provisions of this Act, any dispute in respect of which the amount specified in sub-section (1) has been deposited into Government Treasury, in the manner and within the time specified, shall be deemed to have been concluded and it shall not be continued by any authority or Court before which such dispute is pending.

- (3) Upon an order of settlement of a dispute relating to –
- (i) a revision petition pending before the Tribunal, or
 - (ii) a reference, or
 - (iii) a Writ Petition, or
 - (iv) a Special Leave Petition

being passed under Section 5, the said revision, reference, Writ Petition or Special Leave Petition shall be deemed to have been disposed of in terms of the aforesaid settlement.

CHAPTER III

Manner of Settlement of Disputes

4. Application for settlement.—Any party wishing to settle a dispute shall furnish to the prescribed authority, an application in such form and manner and within such time as may be prescribed.

5. Disposal of application.—(1) No application shall be considered by the prescribed authority unless the application conforms to the requirements of Section 4 and the rules made thereunder.

(2) Every application furnished under section 4 shall be proceeded with in such manner and within such time as may be prescribed.

6. Power to make rules.— (1) The Government may by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Government may make rules for all or any of the matters which by this Act are required to be, or may be, prescribed or in respect of which provision are to be or may be made by rules.

By Order of the Governor of Bihar,
Madan Kishore Kaushik,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1330-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>